(d) the amount of foreign exchange sanctioned; and

(e) whether these persons visited U.K. last year also, and if so, the reasons for allowing them to go abroad this year also?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) to (d). The "Chief Editor of Fateh" Weekly and "Pritam" Monthly has been released foreign exchange to the extent of Rs. 4,200 in connection with his professional work as a Journalist in the U.K He is an Editor of 40 years standing. Looking to his standing as a Journalist and the fact that he was Chief Editor of a Weekly and a Monthly Magazine, he was allowed this foreign exchange in terms of the normal rules.

(e) He visited the U.K. last year also. Under the rules extent, nothing debars of Journalist from being granted facilities for foreign exchange even though he might have gone abroad a year earlier.

नई दिल्ली स्थित श्रमजीवी महिला कर्मचारियों का सरकारी होस्टल

1378. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि श्रम जीवी महिलाओं के लिए दिल्ली में बने हुए सरकारी होस्टल में सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं से गैर-सरकारी फर्मों मे नौकरी करने वाली महिलाओं की अपेक्षा अधिक किराया लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

कानपुर में लूप कारखाना

1379. **श्री ओंकार लाल बेरवा**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने कानपुर में एक लूप कारखाना खोलने की योजना तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) गर्भाशयी गर्भरोधक उपकरण (लूप) के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कानपुर में एक कारखाना खोला गया है और वह काम कर रहा है । प्रारम्भ में प्रतिदिन 14,000 लूप तैयार किये जा रहे हैं । इसकी क्षमता प्रतिदिन 20,000 लूप तैयार करने की है ।

Gramdan Movement

1380. { **Shri D. S. Patil:**
Shri Tulsidas Jadhav:

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 383 on the 24th September, 1964 and state the names of the States which have introduced Bills to promote the Gramdan Movement on the lines of the draft Gramdan Bill forwarded to them by the Central Government?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): Gramdan legislation has been enacted in Assam, Maharashtra, Rajasthan and West Bengal. Bills have been prepared or introduced in Andhra Pradesh and Orissa. In other States, the matter is under active consideration. However, in Madras and Bihar, the Bhoodan Acts include provisions for Gramdan also.

भारतीय विद्युत नियमों का संशोधन

1381. **डा० महादेव प्रसाद** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पिछले महीने शिलांग में केन्द्रीय विद्युत बोर्ड की बैठक हुई थी;

(ख) क्या उस बैठक में भारतीय विद्युत नियम, 1956 में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो जिन प्रस्तावों पर विचार किया गया उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ला० राव) (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) शिलांग में जुलाई, 1965 में केन्द्रीय बिजली बोर्ड की 13वीं बैठक में एजेण्डा की मदें निम्नलिखित थीं :—

(1) वोल्टेज विभिन्नता के प्रश्न का अध्ययन करने तथा एक प्रस्ताव जिसके कार्यान्वयन से विद्यमान बिजली प्रणालियों की वित्तीय तथा तकनीकी स्थिति पर कुप्रभाव न पड़े, के प्रस्तुत करने के लिये, पूना में जनवरी, 1964 में हुई 12वीं बैठक में बोर्ड द्वारा स्थापित की गई उपसमिति की रिपोर्ट पर विचार करना ;

(2) विविध राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, बिजली उपक्रम संघ की ओर व्यक्तिगत आदि आपत्तियों और/अथवा सुझावों को ध्यान में रखते हुए नियम, 2, 3, 4क, और 4ख (नए नियम) 5, 10, 26, 27(2) (नए नियम), 31, 33, 35, 43, 44क (नए नियम), 45, 46, 48(1) (नए नियम), 49, 50, 54, 58क (नए नियम), 61, 65, 73(4) (नए नियम), 79, 82, 92, 138क (नए नियम), आदि जिनको केन्द्रीय बिजली बोर्ड की अधिसूचना सं० ई० एल० 2–6(6)/63, दिनांक 27 दिसम्बर, 1963, (भारत के राजपत्र, दिनांक 12 अक्टूबर, 1963 में जी० एस० आर० 1941 के रूप में प्रकाशित) के अन्तर्गत पहले प्रकाशित कर दिया गया है, में संशोधनों पर विचार करना ।

(3) भारत बिजली नियम, 1956 (अधिसूचना दिनांक 27 सितम्बर, 1963 में पहले से प्रकाशित नियमों से भिन्न) के नियम 3, 4, 31, 35, 41, 51, 55क (प्रस्तावित नये नियम) 57, 76, 92, 139, 140, आदि में संशोधन के लिए राज्य सरकारों, भारतीय बिजली उपक्रम संघ इत्यादि से प्राप्त और प्रस्तावों पर विचार करना ।

Research work by C. W. & P. C. in Bihar

1382. Shrimati Ramdulari Sinha: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state.

(a) whether any research work is being conducted in Bihar by the Central Water and Power Commission;

(b) if so, the details thereof and the progress made in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Research work is not taken up by the Central Water and Power Commission in each of the States, but on an All-India basis, at the Power Research Station at Poona, and the Power Research Institute with units at Bangalore and Bhopal.

बाढ़ से हानि

1383 श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों की बाढ़ नियन्त्रण समिति